

FORM NO. III


फर्म अहकाम
(नम्र ३०)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन सहायक कलक्टर
सुपेन्तसिंह पुत्र भगसिंह जाति राजपूत
सा. युगड़वार तह. कुचागन सिटी

बमुकाम । नावां जिला नागौर राजस्थान
कोसरकंवर पत्नि धनसिंह जाति राजपूत वगे.
सा. युगड़वार तह. कुचागन सिटी

किसम कुमदमां : 212 आरटीए

मुकतमां नम्वर 0238/2022

तारीख हुवम	हुवम सा कार्यावाही मय प्रनिशियल्ला जज	नम्वर तारीख अहकाम जी मय हुवम की तारीख में जासी हुआ
22.11.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रह्मसम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को तर्ज सजिरटर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत चरतावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम युगड़वार के खरारा नम्वर 108 एकवा 0.49 हैक्टर भूमि में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजारी नक्शे में दर्शित मार्क WXYZ में कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। सस्ते/प्रचलित सस्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असाततन/चक्रालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर चर्चा जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
26/12/22	<p>उभयपक्ष उच्च श्रेणी (ने०पे) 1, 3, 5 ना 7, 10, 16, 17, 20, 23 की ओर से मूल बाद पत्र में वकालतनामा पेश हो चुका है पत्रावली वल्लि वकालतनामा व जवाब दि० 12/1/23 को पेश हो</p>	
12/1/23	<p>पत्रावली पेश बार एसोसियेशन म कन्सल्टेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका नाकर दिनांक 13/2/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SE</p>	
13/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाच उप. पीठासीने अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 19/4/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SE</p>	

अधिकारी का नाम

19/1/22 आवकियों के सम्बन्ध में
अधिकारियों के सम्बन्ध में
दस्तावेजों के सम्बन्ध में
को भेजा है। ५१

21/5/22 आवकियों के सम्बन्ध में
अधिकारियों के सम्बन्ध में
दस्तावेजों के सम्बन्ध में
को भेजा है। ५१

18/1/22 आवकियों के सम्बन्ध में
अधिकारियों के सम्बन्ध में
दस्तावेजों के सम्बन्ध में
को भेजा है। ५१

30/1/23 पत्रावली पेश हुई अथिबन्ध प्रार्थी व प्रार्थी
स्वयं को गट-गट श्रावण किताई गई जितके
बावजूद श्री श्रुतस्मिन् रहे हेतव्या प्रार्थी व
आवकियों की पेश नहीं की है
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अक्षय हाजरी
व अक्षय पत्रों में खण्डित किया जाता है
पत्रावली अक्षय अक्षय होकर नम्बर ले कम
है व बाकि बपरा है। ६४

दस्तावेज अधिकारी
पत्रावली (आवकियों-कुचामन)